

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-13/अ0प्र0-01-09/2024  
प्रेषक,

6234

/पटना, दिनांक- 08/10/24

आदित्य प्रकाश  
सरकार के अवर सचिव।  
सेवा में,  
महालेखाकार, बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-37 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष- 001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त प्रावधानित राशि ₹ 11840.00 लाख (एक सौ अठारह करोड़ चालीस लाख) रु0 मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-37 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष- 001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष -0009- अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त प्रावधानित राशि ₹ 11840.00 लाख (एक सौ अठारह करोड़ चालीस लाख) रु0 मात्र प्रदान की जाती है। उक्त बजटीय उपबंध की विवरणी सारणीबद्ध है:-

क्र0 सं0	विषय शीर्ष	वर्तमान उपबंध	BCF से प्रावधानित राशि	संशोधित उपबंध
1	2	3	4	5
1	01 01 वेतन	6302.60000	6700.00000	13002.60000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	3403.40000	3350.00000	6753.40000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	506.20000	1340.00000	1846.20000
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	135.80000	111.00000	246.80000
5	01 07 अन्य भत्ता	23.30000	19.00000	42.30000
6	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20.00000	20.00000	40.00000
7	28 02 संविदा सेवायें	215.00000	300.00000	515.00000
	कुल	10606.30000	11840.00000	22446.30000

2- जिसका विपत्र कोड संख्या- 37-2515000010009 है।

3- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा  
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

4- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

5- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-01-09/2024 के पृष्ठ संख्या-36/टि0 पर दिनांक-08.10.2024 को प्राप्त है।

6- इस राशि की स्वीकृति अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या 13/अ0प्र0-01-09/2024 के पृ0-37/टि0 दिनांक-08.10.2024 को संचिका पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-09/2024

6234

/पटना, दिनांक 08/10/24

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना/ सिंचाई भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-09/2024

6234

/पटना, दिनांक 08/10/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-09/2024

6234

/पटना, दिनांक 08/10/24

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के अवर सचिव